दिनांक 10.05.2013 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की 16वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शुक्रवार दिनांक 10.05.2013 को सांय 5.00 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की 16वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में खरीफ एवं रबी सम्वत् 2069 में अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में राहत गतिविधियों की जानकारी एवं निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

16.1 राज्य सरकार द्वारा सम्वत् 2069 के खरीफ एवं रबी के अभावग्रस्त गांवों में कृषि आदान–अनुदान हेतु राज्य सरकार द्वारा 183.60 करोड़ रूपये आवंटित किये गये है, जिसमें से रबी के कृषि अनुदान की राशि 25.00 करोड की अनुदान राशि वितरित कर दी गई है। शेष राशि 31 मई, 2013 तक वितरित की जावे।

(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग एवं जिला कलेक्टर्स)

16.2 खरीफ सम्वत् 2069 के तहत 12 जिलों के 8030 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त रबी सम्बत् 2069 के 16 जिलों के 535 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग)

16.3 राज्य में इन दिनों तापमान काफी बढ़ रहा है, जिससे अभावग्रस्त क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों को कार्य के दौरान काफी कठिनाई आ रही है। यहां तक कि श्रमिकों के औजार यथा तगारी फावड़ा आदि भी काफी गर्म हो जाते है। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 3.11 के नोट–1 में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए श्रमिकों को राहत हेतु माह मई के दौरान कार्य के समय में 1 घंटे की छूट एवं प्रचलित टास्क में 10 प्रतिशत की कटौती। माह जून के दौरान कार्य के समय में 2 घंटे की छूट एवं प्रचलित टास्क में 20 प्रतिशत की कटौती का प्रावधान है।

इसी के क्रम में वर्ष 2010 (दिनांक 25 मई से), वर्ष 2011 (दिनांक 12 मई से) एवं वर्ष 2012 (दिनांक 31 मई से) महात्मा गाँधी नरेगा मजदूरों का कार्य समय प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक करने एवं इस अवधि में टास्क दर जो सामान्यतः 30 प्रतिशत घटी हुई लागू होती है, उसे घटाकर 50 प्रतिशत करने तथा यह व्यवस्था 30 जून अथवा मानसून आने तक जो भी पहले हो, लागू करने का निर्णय लिया गया था।

नरेगा कार्यों में उक्तानुसार टास्क एवं समय कम करने के निर्णय पर समय–समय पर भारत सरकार ने एतराज जताया है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा एमएनआईटी को Work Time Motion Study करने का आदेश भी दिया है। अतः राज्य में कार्यरत नरेगा श्रमिकों के लिये टास्क एवं समय सीमा में कमी पर भारत सरकार के सहमत नहीं होने की स्थिति में व्यय की गई अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी।

इस पर बैठक के दौरान विस्तृत विचार विमर्श किया गया जिसके पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिये कि नरेगा श्रमिकों की एमएनआईटी द्वारा की जा रही Work Time Motion Study के कार्य में ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधियों को भी जोडा जावे, जिससे विभाग के अनुभवों को भी Work Time Motion Study में सम्मलित किया जा सके तथा गत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रमिकों की कार्यअवधि एवं टास्क में कमी की जावे।

(कार्यवाही–ग्रामीण विकास विभाग)

16.4 अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में 18.09.2012 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–ग्रामीण विकास विभाग)

16.5 चारा, पशु शिविर एवं गौशालाओं को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की समीक्षा करते हुए सम्वत् 2069 के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुपालकों को पशुआहार अनुदान की दर 4 रूपये प्रति किलो से बढ़ाकर 7 रूपये प्रति किलो करने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग)

16.6 अभावग्रस्त जिलों के शहरी क्षेत्रों में स्थित गौशालाओं को एसडीआरएफ मद से अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग)

16.7 अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में राहत गतिविधियों की समीक्षा एवं निरन्तर पर्यवेक्षण हेतु मा0 मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्य सचिव महोदय को निर्देश दिये।

(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग)

16.8 राज्य के सभी जिलों में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रभावी तरीके से किये जाने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सहायता) के पदनाम को परिवर्तन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं सचिव, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण किये जाने के प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

16.9 माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गर्मी के कारण वन्य जीवों को पेयजल एवं चारे की व्यवस्था वन विभाग द्वारा किये जाने के निर्देश दिये एवं भीषण गर्मी में पक्षियों को पानी की व्यवस्था हेतु राजकीय विभागों, स्काउट गाईड, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा नेहरू युवा केन्द्र द्वारा परिण्डे लगाने के निर्देश दिये। उन्होनें पक्षियों के लिए परिण्डे लगाने हेतु आम नागरिकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपील करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग)

तत्पश्चात बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ 1(1)(4)आ.प्र.एवं सआ/सामान्य–1/2007/ 6477-506 जयपुर,दिनांकः 14.5.13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि एवं पशुपालन, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज.,जयपुर।
6. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सहकारिता, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं ऊर्जा, राज.,जयपुर।
9. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, गृह, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर।
11. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज., जयपुर।
12. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
13. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग।
14. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारीता विभाग।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
22. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
23. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
24. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
25. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
26. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
27. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
28. निजी सचिव, शासन सचिव, (प्रथम) माननीय मुख्यमंत्री
29. निजी सचिव, शासन सचिव, (द्वितीय) माननीय मुख्यमंत्री

सहायक शासन सचिव